www.cbi.gov.in
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
सूचना अनुभाग,
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 29.06.2017

सीबीआई ने व्यापम से सम्बन्धित मामले में उम्मीदवार एवं परनामधारी के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने पुलिस सि□पाही भर्ती परीक्षा-2013 में परनाम धारण कर धोखाधड़ी करने के आरोप पर उम्मीदवार एवं परनामधारी के विरूद्ध व्यापम मामलों के विशेष दण्डाधिकारी की अदालत, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 419, 420, 467, 468, 471 एवं मध्य प्रदेश मान्य परीक्षा अधिनियम, 1937 की धारा 3/4 के तहत आरोप पत्र दायर किया।

सीबीआई ने माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेश पर उक्त मामला, जो कि पूर्व में जनकगंज पुलिस स्टेशन, ग्वालियर में प्राथमिक सूचना रिपोर्ट संख्या-135/2015 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं मध्य प्रदेश मान्य परीक्षा अधिनियम, 1937 की धारा 3/4 में दर्ज था, को अपने हाथों में लिया। राज्य पुलिस द्वारा उम्मीदवार को फरार बताया गया था।

सीबीआई द्वारा की गयी जॉच के दौरान, उम्मीदवार पकड़ा गया। परनामधारी की पहचान हुई और पकड़ा गया। जॉच से पता चला कि उम्मीदवार ने परनामधारी के साथ आपराधिक षड़यंत्र में आगे परनामधारण के द्वारा व्यापम में धोखाधड़ी की। संदिग्ध दस्तावेजों की फोरेंसिक विश्लेषण के पश्चात, सी.एफ.एस.एल. विशेषज्ञों ने राय दी कि परनामधारी की लिखावट एवं हस्ताक्षर ओ.एम.आर., रासा (आर.ए.एस.ए.) तथा प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखी गई सूचना से मेल खाते हैं। सी.एफ.एस.एल. के विशेषज्ञों ने यह भी राय दी कि उम्मीदवार की लिखावट लिखित परीक्षा की ओ.एम.आर., रासा (आर.ए.एस.ए.) तथा प्रश्न पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर लिखी गई सूचना से मेंल नही खाते हैं। ऐसा भी आरोप था कि दिनांक 07.04.2013 को आयोजित पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा-2013 की लिखित परीक्षा में वास्तविक उम्मीदवार के स्थान पर सॉल्वर (परनामधारी) ने परनाम धारण किया। उसे दिनांक 06.06.2017 को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया। उम्मीदवार, अपनी गिरफ्तारी से बच निकला एवं फरार हो गया। आरोपी उम्मीदवार के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत से निवेदन किया गया है।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्वारा की गयी जॉच व इसके द्वारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधरित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।